अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राप्त किसी शक्ति का प्रयोग करने में दी गई हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

(2) उस दशा में जबकि किसी आदेश के सम्बन्ध में समझा जाए कि वह किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिया गया है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के आशय के अन्तर्गत यह समझेगा कि ऐसा आदेश उक्त प्राधिकारी ने इस प्रकार दिया था।

15. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा—(1) उस दशा के अतिरिक्त जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है, कोई वाद अथवा कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे काम के लिए जो इस अधिनियम के अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या दिए गए आदेशों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, अथवा जिसके करने का विचार हो, न की जा सकेगी।

(2) कोई दावा अथवा दूसरी वैधानिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए जो इस अधिनियम के अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या दिए गए आदेशों के अनुसार सद्भावना से किए गए किसी काम से हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, न की जा सकेगी।

16. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है।

(2) विशेषकर और उल्लिखित शक्तियों की सामान्यतया पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों को नियत करेंगे—

(क) वे विवरण जो किसी सहकारी समिति, संघ अथवा ग्राम सभा द्वारा भूमि अधिकृत करने के लिए आवेदन-पत्र में दिए जाएंगे;

(ख) वह प्रक्रिया (प्रोसीजर) जिसके अनुसार प्रतिकर अधिकारी अथवा अधिकरण प्राधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी;

(ग) वे व्यय तथा शर्तें और दशाएँ जिनके अधीन प्रबन्ध और अधीक्षण किसी सहकारी समिति, संघ अथवा ग्राम सभा को सौंपे जाएं;

(घ) वह रीति तथा सिद्धान्त जिनके अनुसार अधिकृत की गई भूमि के विषय में लगान और सायर निश्चित किए जाएं;

(ङ) वह अधिकारी जो धारा 12 के अधीन अधिकरण प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, और वह प्रक्रिया जिसके अनुसार वह कार्य करेगा; और

(च) कोई अन्य विषय जिसको नियत करना है अथवा जो नियत किया जा सकता हो।

———

परिशिष्ट 18

संयुक्त प्रान्त ग्राम्य विकास (भूमि अधिकरण) नियमावली, 1948

[U. P. Rural Development (Requisitioning of Land) Rules, 1948]

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. सहायक कलेक्टर की अधिकरण प्राधिकारी या प्रतिकर अधिकारी के रूप में नियुक्ति
4. भूमि अधिकरण हेतु प्रार्थना-पत्र में अपेक्षित बातें
5. अधिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया
6. प्रबन्ध या अधीक्षण किया जाना
7. अधिकरण का पट्टा माना जाना
8. लगान कैसे अवधारित होगा
9. प्रतिकर अधिकारी को प्रस्तुत किए गए सन्दर्भ के साथ विवरण-पत्र संलग्न करना
10. प्रतिकर अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया
11. स्थगन (adjournment)
12. प्रतिकर अधिकारी का अधिनिर्णय
13. अधिकरण प्राधिकारी के पास प्रतिकर धनराशि का जमा करना
14. आयुक्त द्वारा पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग
15. पंजी
16. प्रबन्ध का निहितन

आकार-पत्र

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली संयुक्त प्रान्त ग्राम्य विकास (भूमि अधिकरण) नियमावली, 1948 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ—"*अधिनियम*" का आशय उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (भूमि अधिकरण) अधिनियम, 1948 से है।

3. सहायक कलेक्टर की अधिकरण प्राधिकारी या प्रतिकर अधिकारी के रूप में नियुक्ति—कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी भी सहायक कलेक्टर को जिले के लिए अधिकरण प्राधिकारी या प्रतिकर अधिकारी का नामनिर्दिष्ट (nominate) कर सकते हैं, और उसके पश्चात् प्रदेशीय सरकार ऐसे अधिकारी को अधिकरण प्राधिकारी या प्रतिकर अधिकारी नियुक्त कर सकती है :

परन्तु कोई सहायक कलेक्टर उसी क्षेत्र के लिए अधिकरण प्राधिकारी होने के साथ ही प्रतिकर अधिकारी नहीं होगा।

टिप्पणी—(1) सहायक कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी तहसीलदारों को सम्बन्धित तहसीलों में, जिनमें वे तत्समय नियुक्त हों, अधिकरण प्राधिकारी (Requisitioning Authority) नियुक्त कर दिया गया है।

(2) सहायक कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी परगनाधिकारियों (Sub-Divisional Officer) को सम्बन्धित परगनों (Sub-Divisions) में प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officer) नियुक्त कर दिया गया है।

[देखें नियोजन (क) विभाग की अधिसूचना सं० 236/पैंतीस-क-644-1955, दिनांक 22 जनवरी, 1960]

(3) सामुदायिक विकास अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या 3258/अड़तीस-3-644-55, दिनांक 6 जून, 1974 के अनुसार, सहायक कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, सभी नायब तहसीलदारों को उनकी तहसीलों के क्षेत्रों में अधिकरण प्राधिकारी (Requisitioning Authority) नियुक्त किया गया है।

4. भूमि अधिकरण हेतु प्रार्थना-पत्र में अपेक्षित बातें—(1) भूमि के अधिकरण हेतु प्रत्येक आवेदन-पत्र लिखित रूप में या तो कलेक्टर अथवा अधिकरण करने वाले प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी असिस्टेन्ट कलेक्टर को दिया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे—

(क) आवेदक का नाम और पूरा पता .....

(ख) अधिकृत की जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण, जिसमें ग्राम्य अभिलेख का सन्दर्भ, उसका क्षेत्रफल और स्थिति तथा ग्राम के नक्शे का सुसंगत उद्धरण दिया जाएगा.....

(ग) अधिकरण करने का प्रयोजन .....

(घ) भूमि के स्वामियों या अध्यासियों या भूमि के हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के नाम.....

(ङ) वह प्रयोजन जिसके लिए वह इस समय उपयोग में है .....

(च) ऐसी शर्तें जिन पर प्रार्थी भूमि अधिकृत करना चाहता है.....

(छ) कोई अन्य सुसंगत सूचना.....

परन्तु कोई ऐसा उपरोक्त प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित द्वारा या उनकी ओर से न दिया जाए—

(i) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन गठित ग्राम सभा, या

(ii) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धित कोई सहकारी संगठन, या

(iii) ऐसे विकास खण्ड के जिसमें ग्राम सभा, सहकारी संगठन या विद्यालय स्थित हो। परियोजना अधिकारी से या अनुभाग से या शैडो विकास खण्ड की स्थिति में विकास खण्ड के ऐसे प्रभारी अधिकारी जो समूह स्तर के कार्यकर्ता से निम्न स्तर का न हो और कलेक्टरर द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट हो, शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई विद्यालय।

(iv) राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा या किसी अन्य अभियन्त्रण विभाग का अधिशासी अभियन्ता या कोई अन्य ऐसा अधिकारी जो कलेक्टर द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु यह कि जहाँ कोई आवेदन-पत्र किसी ग्राम सभा, सहकारी संगठन, विद्यालय द्वारा या उनकी ओर से दिया जाए वहाँ भूमि अधिकरण प्राधिकारी उसे अस्वीकार कर देगा जब तक कि उसका समाधान न हो जाए कि ग्राम पंचायत या सहकारी संगठन की स्थिति में निदेशक मण्डल या किसी विद्यालय की स्थिति में प्रबन्ध समिति द्वारा इस आशय का संकल्प पत्र पारित कर दिया है।

(2) उक्त उपनियम (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई आवेदन-पत्र ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो तत्समय किसी भवन, मकबरा या पूजा के स्थान से घिरी हो, ग्रहण (entertain) नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी—नियम 4, ग्राम्य विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना सं० 3991/अड़तीस-3-174/1970, दिनांक 2 जुलाई, 1980 में प्रख्यापित प्रथम संशोधन नियमावली, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी, जो गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू की गयी। इससे मात्र पुराने उपनियम (छ) के परन्तुक (3) के पश्चात् (4) को बढ़ाया गया है।

5. अधिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया—(1) यदि नियम 4 के अधीन दिए गए प्रार्थना-पत्र पर विचार करने के पश्चात् अधिकरण प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि लोक प्रयोजन हेतु ऐसा करना आवश्यक या

इष्टकर (expedient) है तो वह प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित भूमि का आदेश द्वारा अधिकरण और अधिनियम की धारा 3 के द्वारा विहित नोटिस और आदेश के अतिरिक्त सामान्य या विशेष नोटिस द्वारा अधिकृत भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से नोटिस की तामील के दिनांक से तीन दिन के भीतर लिखित रूप में प्रतिकर के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत (preferred) किसी दावे पर, अधिकरण प्राधिकारी, यथासम्भव भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों के साथ समझौते (agreement) द्वारा प्रतिकर की धनराशि निश्चित करने का प्रयत्न करेगा।

(3) जहाँ इस प्रकार का समझौता हो जाए तो अधिकरण प्राधिकारी उसे अभिलिखित कराएगा और सम्बन्धित व्यक्तियों से हस्ताक्षर कराएगा तथा समझौते के अनुसार भुगतान किए जाने के लिए आदेश करेगा।

(4) जहाँ इस प्रकार समझौता न हो तो अधिकरण प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार प्रतिकर अधिकारी को सन्दर्भ करेगा।

6. प्रबन्ध या अधीक्षण किया जाना—जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन भूमि का अधिकरण किया जाए तो अधिकरण प्राधिकारी इसका स्वयं प्रबन्ध कर सकता है अथवा इसका प्रबन्ध या अधीक्षण किसी विभागीय अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों या जिला नियोजन अधिकारी या उसके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी अधिकारी या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन गठित ग्राम सभा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत सहकारी संगठन या शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय में प्रबन्ध या अधीक्षण निहित कर सकता है।

7. अधिकरण का पट्टा माना जाना—अधिकरण प्रत्येक मामले में अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट (contained) सिद्धान्तों के अनुसार आकलित वार्षिक या अर्द्धवार्षिक, जैसी भी दशा हो, राजस्व या लगान, किन्तु बिना नजराने (premium) का, पट्टा समझा जाएगा।

8. लगान कैसे अवधारित होगा—(1) जहाँ अधिकृत भूमि भूमिधर अथवा सीरदार की हो और भू-राजस्व जिंस (kind) के रूप में भुगतान किया जाता हो अथवा निर्धारित नहीं किया गया हो, तो राजस्व की धनराशि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 245 और 246 के प्रावधानों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) ग्राम सभा के आसामी का लगान, यदि जिंस के रूप में भुगतान किया जाता है अथवा अवधारित नहीं हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 215 और 218 के प्रावधानों के अनुसार अवधारित धनराशि होगी।

(3) जहाँ भूमि शिकमी पट्टे पर उठाई गयी हो तो खातेदार को आसामी द्वारा देय लगान में से खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व कम करके पाने का हकदार होगा।

(4) आसामी को कलेक्टर के विवेकानुसार अपने खातेदार को उनके द्वारा देय लगान के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि अनुमत (allow) की जा सकती है।

(5) जब अधिकृत भूमि बाग हो और उस पर कोई राजस्व आरोपित (assess) न किया गया हो तो लागू मौरूसी दरों के अनुसार दर अवधारित की जाएगी।

(6) जहाँ अधिकृत भूमि बंजर, पुरानी परती या नवीन परती है और कोई भू-राजस्व या लगान, जैसी भी दशा हो, उस पर आरोपित नहीं किया गया हो, तो उस पर भू-राजस्व या लगान, जैसी भी दशा हो, अन्तिम तीन वर्षों की औसत सायर आय के अतिरिक्त क्रमशः 6, 12 और 19 पैसे से 31 पैसे तक प्रति एकड़ समझा जाएगा :

परन्तु यदि ऐसी भूमि आकस्मिक परती हो जिसके निकट भविष्य में कृषित किए जाने की सम्भावना हो, तो वह कृषित (cultivated) भूमि समझी जाएगी।

टिप्पणी—उपनियम (1) में भूमिधर व सीरदार का व अन्य उपनियमों में जिंसी या अनिर्धारित लगान या भू-राजस्व का उल्लेख होना इस कारण से है कि यह नियमावली, 1948 की बनी है जब तक जमींदारी विनाश नहीं हुआ था एवं जमींदारों द्वारा बहुत से कृषकों को जिंसी या अनिर्णीत लगान पर कृषि करने की अनुमति दे दी गयी थी, अब ऐसा कोई मामला नहीं रहा है। उपनियम (6) में उल्लिखित 6, 12 और 19 से 31 पैसे की दरें क्रमशः बंजर, पुरानी परती तथा नवीन परती हेतु पृथक्-पृथक् नियत की गयी हैं। अब वर्तमान आदेशों के अनुसार प्रत्येक तहसील पर रजिस्टर 62-ख में प्रत्येक खाते का देय समझा जाने वाला भू-राजस्व लिखा रहता है।

9. प्रतिकर अधिकारी को प्रस्तुत किए गए सन्दर्भ के साथ विवरण-पत्र संलग्न करना—(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर अधिकारी को प्रस्तुत प्रत्येक सन्दर्भ के साथ अधिकरण प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और निम्नांकित सूचना सहित एक विवरण-पत्र होगा—

(क) उस पर किन्हीं पेड़ों और खड़ी फसलों के विवरण सहित अधिकृत भूमि की स्थिति और विस्तार;

(ख) अधिकृत भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों के नाम;

(ग) प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति को प्रस्तावित प्रतिकर की धनराशि;

(घ) आधार जिस पर उक्त प्रतिकर की धनराशि अवधारित की गई है।

(2) जैसा कि ऊपर कहा गया है सन्दर्भ करते समय अधिकृत भूमि की कार्यवाहियों से सम्बद्ध समस्त उपलब्ध अभिलेख प्रतिकर अधिकारी को भी अन्तरित करेगा।

10. प्रतिकर अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया—सन्दर्भ के प्राप्त होने पर प्रतिकर अधिकारी कोई दिनांक नियत करते हुए जब हितबद्ध व्यक्तियों में से प्रत्येक को प्रतिकर की देय (payable) धनराशि अवधारित करने की कार्यवाही करेगा और उनकी वैयक्तिक या अधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा उपस्थिति का निर्देश देते हुए निम्नांकित व्यक्तियों पर नोटिस तामील कराएगा :

(क) आवेदक;

(ख) भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के रूप में अधिकरण प्राधिकारी द्वारा नामित सभी व्यक्ति;

(ग) अधिकरण प्राधिकारी।

11. स्थगन (adjournment)—प्रतिकर अधिकारी, किसी भी कारण से, जो वह उचित समझे, समय-समय पर उसके द्वारा नियत किए जाने वाले दिनांक के लिए जाँच को स्थगित (adjourn) कर सकता है।

12. प्रतिकर अधिकारी का अधिनिर्णय—(1) नियम 8 के अधीन नियत दिनांक या किसी अन्य दिनांक को जिसके लिए जाँच को नियम 9 के अधीन स्थगित (adjourn) कर दिया गया हो, प्रतिकर अधिकारी हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अधिकरण प्राधिकारों को प्रतिकर के लिए किए गए सम्बन्धित दावों की जाँच की कार्यवाही करेगा और निम्नांकित का उल्लेख करते हुए स्वयं अधिनिर्णय देगा :

(क) अधिकृत भूमि का ठीक-ठाक क्षेत्रफल;

(ख) उसके मतानुसार भूमि के लिए जो प्रतिकर अनुमत किया जाना चाहिए;

(ग) उक्त प्रतिकर का भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के बीच विभाजन; और

(घ) रीति (manner) जिसके अनुसार तथा व्यक्तियों अथवा ग्रामीण निकाय (body) जिनके द्वारा उक्त प्रतिकर का भुगतान किया जाना है।

(2) प्रतिकर अधिकारी अपने अधिनिर्णय द्वारा प्रतिकर की धनराशि के भुगतान या जमा किए जाने की समय सीमा (time limit) भी निश्चित कर सकता है।

13. अधिकरण प्राधिकारी के पास प्रतिकर धनराशि का जमा करना—यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति प्रतिकर अधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के भुगतान को प्राप्त करने से मना करता है या उसे प्राप्त करने में अवहेलना (neglect) करता है, तो प्रतिकर अधिकारी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या निकाय से उसे अधिकरण प्राधिकारी के पास जमा कराएगा और ऐसा जमा करना मामले में उत्तरदायी व्यक्ति या निकाय को सभी अग्रेतर दायित्वों से मुक्त (absolve) करेगा।

14. आयुक्त द्वारा पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग—इस सम्बन्ध में आदेशों से क्षुब्ध (aggrieved) पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर मण्डलायुक्त द्वारा अधिकरण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3 और 7 के अधीन या प्रतिकर अधिकारी द्वारा धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसा प्रार्थना-पत्र अपील के ज्ञाप (memorandum) के रूप में होगा और पुनरावलोकित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर निवेशित किया जाएगा।

15. पंजी—प्रत्येक अधिकरण प्राधिकारी अपने आदेशों के द्वारा या अधीन भूमि के समस्त अधिकरणों की प्रपत्र 1 में पंजी संधारित करेगा।

16. प्रबन्ध का निहितन—(1) अधिकरण प्राधिकारी अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी भूमि का प्रबन्ध और अधीक्षण ग्राम सभा, सहकारी संगठन या विद्यालय में निम्नांकित शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ निहित कर सकता है—

(क) ग्राम सभा, सहकारी संगठन या विद्यालय जिसमें प्रबन्ध निहित किया गया हो, प्रतिकर अधिकारी के अधिनिर्णय अथवा अधिकरण प्राधिकारी और हितबद्ध व्यक्ति के बीच हुए समझौते (agreement), जैसे भी दशा हो, के अनुसार प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) ऐसी ग्राम सभा, सहकारी संगठन या विद्यालय द्वारा अधिकृत भूमि का प्रबन्ध, अधिकरण प्राधिकारी या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अधिकारी के निर्देश, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेगा।

(2) जहाँ ग्राम सभा, सहकारी संगठन या विद्यालय उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित प्रतिकर के भुगतान करने में अथवा अधिकरण प्राधिकारी या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी के निदेशों का पालन करने में असफल रहे तो, अधिकरण प्राधिकारी ग्राम सभा, सहकारी संगठन या विद्यालय द्वारा अधिकृत भूमि के प्रबन्ध को निलम्बित अथवा समाप्त (suspend or terminate) कर सकता है तथा उसे किसी अधिकारी या अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन अधिकारी में निहित कर सकता है।

भूमि अधिकरण आकार-पत्र 1

संयुक्त प्रान्तीय ग्राम्य विकास (भूमि अधिकरण) अधिनियम, 1948 के अधीन जिला................................ में लोक प्रयोजनों हेतु अधिकृत की गयी भूमि की पंजी

क्रम-संख्या पत्रावली-संख्या	परगना	ग्राम	लोक प्रयोजन जिसके लिए भूमि का अधिकरण किया गया	अधिकरण का दिनांक	अधिकृत क्षेत्रफल	वर्षिक/द्विवार्षिक लगान	मालिकों, मातहतदारों और कृषकों को भुगतान किया गया नकद प्रतिकर	क्षतिपूर्ति (deterioration) हेतु भुगतान की गई धनराशि, यदि कोई हो	विभागीय अधिकारी अथवा ग्राम सभा जिसको भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया	ग्राम सभा के साथ निष्पादित संविदा का दिनांक	भूमि के मुक्त करने (relinquishment) का दिनांक	यदि भूमि स्थाई रूप से अर्जित की गई है तो विज्ञप्ति की संख्या व दिनांक	प्रयोग में रखने की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट—यह रजिस्टर नियमावली के साथ ही शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

संयुक्त प्रान्त ग्राम्य विकास (भूमि अधिकरण) अधिनियम, 1948 के अधीन प्रार्थना-पत्र

[देखिए नियम 4 (1)]

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,

.....'खण्ड, सा० नि० विभाग'

.....

सेवा में,

अधिकरण प्राधकारी/तहसीलदार,

तहसील.....

जिला .....

सं०..... दिनांक .....

विषय—ग्राम.....में .....निर्माण हेतु भूमि के अधिकरण के लिए प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि उक्त ..... निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए प्रस्ताव पत्र सं०.....दिनांक .....द्वारा कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी .....को भेज दिए गए हैं। चूंकि उक्त मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाना है, अत: संलग्न तालिका में उल्लिखित भूमि का लोक प्रयोजन हेतु अधिकरण करने की कृपा करें।

1.	आवेदक का नाम व पूरा पता	अधिशासी अभियन्ता खण्ड सा० नि० विभाग.....।
2.	अधिकृत की जाने वाली भूमि का पूरा विवरण	पृथक् संलग्न है।
3.	अधिकरण करने का प्रयोजन	..... का निर्माण
4.	भूमि के स्वामियों, अध्यासियों या हितबद्ध व्यक्तियों के नाम	संलग्न सूची के अनुसार
5.	प्रयोजन जिसके लिए भूमि इस समय प्रयोग की जा रही है	कृषि कार्य हेतु
6.	शर्तें जिन पर प्रार्थी भूमि अधिकृत करना चाहता है	भूमि अस्थायी रूप से ली जानी है जिसके अर्जन हेतु प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार कर दिया जाएगा।
7.	अन्य सुसंगत सूचना	मामला आत्ययिक (urgent) है अत: बिना नोटिस जारी किए अपना सन्तोष करके कि उक्त भूमि का अधिकरण लोक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अतः भूमि का अधिकरण शीघ्र करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

.....

.....

जिला .....

मुहर.....

संलग्न—

1. सम्बन्धित खसरा नम्बरों की सूची, क्षेत्रफल व स्वामियों का नाम, पता, निवास-स्थान सहित।
2. शजरा प्लान।
3. प्रत्येक खातेदार हेतु नोटिस के प्रपत्र।
4. भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव भेज दिए जाने का प्रमाण-पत्र (.....)
5. .....

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार, सामुदायिक विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 3258/ अड़तीस-3-644-55, दिनांक 6 जून, 1974

संयुक्त प्रान्त ग्राम्य विकास (भूमि अधिकरण) ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट सं० 27, 1948) की धारा 2 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा नियोजन (क) विभाग की अधिसूचना संख्या 236/पैंतीस-ए-644-1955, दिनांक 22 जनवरी, 1960 के अनुक्रम में राज्यपाल असिस्टेन्ट कलेक्टरों की शक्तियों का प्रयोग करने वाले समस्त नायब तहसीलदारों को अपनी-अपनी तहसीलों के उन सर्किलों में जिसमें वे तैनात किए जाएं, अधिकरण करने वाले अधिकारी नियुक्त करते हैं।

[*देखें* सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनुभाग-बी०) शासनादेश सं० 4069/तेईस-सा०नि०/2/118/64, दिनांक 18 अगस्त, 1982]

विषय—उत्तर प्रदेश रूरल डेवलपमेन्ट (रिक्वीजीशिनिंग आफ लैण्ड) ऐक्ट, 1948 के अधीन भूमि का अधिग्रहण।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जैसा कि आपको विदित होगा कि प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण की कई बड़ी योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं, इन योजनाओं में योजनागत सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण बेरोजगारी दूर कराने की परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण, डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण तथा उत्तर प्रदेश मार्ग निधि के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण व पुनः निर्माण के कार्य सम्मिलित हैं। इन सड़कों के निर्माण कार्य के लिए यह परम आवश्यक है कि इनके लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है वह तुरन्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। भूमि के अधिग्रहण में उ० प्र० रूरल डेवलपमेन्ट (रिक्वीजीशनिंग आफ लैण्ड) ऐक्ट, 1948 के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि बिना विलम्ब के अधिगृहीत की जा सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो भी प्रस्ताव, मार्गों के निर्माण के लिए आपको प्राप्त हों, उन पर अविलम्ब कार्यवाही करके यह भूमि उपलब्ध करा दी जाए ताकि मार्गों के ऊपर मिट्टी इत्यादि का कार्य शुरू किया जा सके।

———

परिशिष्ट 19

उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997[1]

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997 कही जाएगी।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. निकाय या विभाग, जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, अर्जन के अधीन भूमि के निबन्धन और शर्तें और दरों को भू-स्वामियों के साथ निर्धारित कर सकता है और कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हो सकता है और एक आवेदन-पत्र जिसमें इस प्रकार निर्धारित किए गए निबन्धन और शर्तें और प्रतिकर के अवधारण के लिए तत्परता और रजामन्दी होगी और करार के अनुसरण में अधिनिर्णय की घोषणा होगी, प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर, यदि उसका समाधान हो जाए तो अर्जन के अधीन भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों को अधिनिर्णय में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों पर अपनी तत्परता और रजामन्दी लिखित रूप में करार के निष्पादन को अभिव्यक्त करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

3. कलेक्टर पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और समाधान हो जाने पर कि भूमि में हितबद्ध व्यक्ति करार को निष्पादित करने के लिए तत्पर और रजामन्द हैं, अनुज्ञा प्रदान कर सकता है जब तक कि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह इसे अस्वीकार करने का विनिश्चय नहीं कर लेता।

4. (1) कलेक्टर, जहाँ वह अनुज्ञा प्रदान करता है, भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को करार निष्पादित करने का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा देगा।

(2) इस नियमावली के संलग्न प्रपत्र में करार आवश्यक विवरण सहित कि क्या अधिनिर्णय प्रदान करने के पूर्व कब्जा ले लिया गया है या नहीं, निष्पादित किया जाएगा।

(3) यदि इस प्रकार सूचित व्यक्ति, यथास्थित, ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर या बढ़ाए गए दिनांक को करार का निष्पादन करने के लिए उपस्थित होने में असफल रहता है तो कलेक्टर धारा 11 के अधीन उस प्रक्रम से जिस पर नियम 2 के अधीन आवेदन किया गया था, जाँच की कार्यवाही करेगा।

5. करार में परिनिर्धारित प्रतिकर की धनराशि सदैव समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के पालन में होगी।

6. (1) जब कोई करार कपटपूर्वक निष्पादित किया गया पाया जाए, तो कलेक्टर स्वप्रेरणा से या इस निमित्त किए गए किसी आवेदन-पत्र पर उन व्यक्तियों को जिन्होंने करार निष्पादित किया है, सुने जाने का उचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, करार निरस्त कर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन करार रद्द किए जाने के मामले में निष्पादक को राज्य सरकार से किसी प्रतिकर या नुकसानी का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

---

1. अधिसूचना संख्या 2382/सत्तान्वे-2-4 (1)/85-24-रा०-13, दिनांक 16 सितम्बर, 1997 द्वारा उ० प्र० असाधारण गजट, भाग 4 (ख), दिनांक 16 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित